एम.पी. स्टेट कोआपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि. भोपाल

दिनांक 08.07.2022 को संपन्न बैठक का कार्यवाही विवरण

दिनांक 08.07.2022 को प्रबंध संचालक महोदय की अध्यक्षता में पशु आहार संयंत्रों एवं आदिवासी महिला डेयरी विकास परियोजना की समीक्षा बैठक एमपीसीडीएफ के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में निम्न अधिकारी सम्मिलित हुए :

दुग्ध संघ

1	श्री दीपक शर्मा	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सहकारी दुग्ध संघ, जबलपुर
2	डॉ. ओ.पी. झा	प्रभारी (क्षेत्र संचालन), दुग्ध संघ इंदौर
3	श्री नरेश नरवरिया	प्रभारी, पशुआहार संयंत्र पचामा
4	श्री सी.बी. सिंह	प्रभारी, पशुआहार संयंत्र मांगलिया
5	श्री महेश कुमार धाकड़	प्रभारी, पशुआहार संयंत्र शिवपुरी
6	श्री सुधीर कुमार जौरया	प्रभारी, पशुआहार संयंत्र बण्डोल
7	श्री राजेश बरखडे	प्रभारी, पशुआहार संयंत्र सागर
8	सुश्री निधि राजपूत	प्रभारी (क्षेत्र संचालन), दुग्ध संघ जबलपुर

एमपीसीडीएफ

1	डॉ. आर.के. दूर्वार	महाप्रबंधक (क्षेत्र संचालन)
2	श्री असीम निगम	सहायक महाप्रबंधक(एमएंडपी)
3	श्रीमती भाग्यश्री बजाज	प्रबंधक (क्षेस)

बैठक में निम्नानुसार निर्देश दिये गए :

1. पशुआहार संयंत्र पचामा 105%, मांगलिया 110%, शिवपुरी, बण्डोल एवं सागर 100% क्षमता से पशुआहार संयंत्रों का संचालन अनिवार्य रूप से करेंगे। इस आधार पर एमपीसीडीएफ स्तर से इन संयंत्रों के लक्ष्य संशोधित किये जाये।

   (कार्यवाही : महाप्रबंधक (क्षेस), एमपीसीडीएफ एवं समस्त प्रभारी, पशु आहार संयंत्र)

2. समस्त पशुआहार संयंत्र अन्य राज्यों में भी पशु आहार विक्रय का प्रयास करें। इस हेतु ट्रक–लोड एवं प्रतिकिलोमीटर के आधार पर परिवहनकर्ता नियुक्त करें।

   (कार्यवाही : समस्त प्रभारी, पशु आहार संयंत्र)

3. समस्त पशु आहार संयंत्र सतत् रूप से NCDFI के माध्यम से पशु आहार विक्रय करने हेतु ई–टेण्डर में भाग लेकर पशु आहार विक्रय में वृद्धि करें।

   (कार्यवाही : समस्त प्रभारी, पशु आहार संयंत्र)

4. पशु आहार संयंत्रों द्वारा NCDFI के माध्यम से फ्लोट किये गये ई–ऑक्शन की जानकारी प्रतिमाह एमपीसीडीएफ को प्रेषित की जाये।

(कार्यवाही : समस्त प्रभारी, पशु आहार संयंत्र)

5. पशु आहार संयंत्र पचामा द्वारा बैतूल एवं मुलताई क्षेत्र में पशु आहार प्रदाय न किया जावे। बैतूल एवं मुलताई क्षेत्र में पशु आहार संयंत्र बण्डोल एवं सागर द्वारा पशु आहार प्रदाय किया जाये। इस संबंध में पूर्व में एमपीसीडीएफ स्तर से लिये गये निर्णय का पालन नहीं किये जाने पर प्रभारी, पशु आहार संयंत्र पचामा को कारण बताओ सूचना पत्र जारी हो।

(कार्यवाही : मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सहकारी दुग्ध संघ, भोपाल, जबलपुर, बुंदेलखण्ड एवं प्रभारी पशु पशुआहार संयंत्र बण्डोल एवं सागर)

6. पशु आहार संयंत्र बण्डोल द्वारा निकटवर्ती राज्य यथा– महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ में पशुआहार विक्रय करने हेतु प्रभावी प्रयास किये जाये।

(कार्यवाही : प्रभारी, पशु आहार संयंत्र, बण्डोल)

7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, बुंदेलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ सागर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं NRLM से चर्चा कर मुक्ता महिला दुग्ध उत्पादक कंपनी को सुदाना पशुआहार विक्रय प्रारंभ करें।

(कार्यवाही : मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सहकारी दुग्ध संघ, बुंदेलखण्ड एवं प्रभारी पशु पशुआहार संयंत्र सागर)

8. समस्त पशुआहार संयंत्रों द्वारा अन्य प्रायवेट संस्थाओं यथा– श्रीधी, मॉर्डन, सौरभ, दिनशॉ आदि को पशु आहार विक्रय हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाये।

(कार्यवाही : समस्त प्रभारी, पशु आहार संयंत्र)

9. पशुआहार संयंत्र पचामा द्वारा निर्मित मिनरल मिक्चर अन्य पशु आहार संयंत्रों को उत्पादन लागत पर ही उपलब्ध कराया जावे। अन्य प्राईवेट संस्थाओं को लाभ के आधार पर विक्रय किया जावे।

(कार्यवाही : मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सहकारी दुग्ध संघ, भोपाल)

10. भविष्य में पशु आहार एवं मिनरल मिक्चर की दरें न्यूनतम लाभ के आधार पर ही रखी जावे जिससे पशुओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि एवं दुग्ध उत्पादकों की आय में वृद्धि हो सके। संयंत्र कंडिका 1 अनुसार निर्धारित क्षमता पर चलाये जाये।

(कार्यवाही : मुख्य कार्यपालन अधिकारी, समस्त दुग्ध संघ एवं प्रभारी पशु पशुआहार संयंत्र समस्त)

ती

11. पशु आहार की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जावेगा। पशुआहार संयंत्र किसानों से सतत् रूप से संपर्क रखते हुए फीडबैक के आधार पर गुणवत्ता बनाये रखे।

(कार्यवाही : समस्त प्रभारी, पशु आहार संयंत्र)

12. दुग्ध समितियाँ पशुआहार विकय का स्थाई बाजार है अतः शतप्रतिशत दुग्ध समितियों में पशु आहार विकय किया जावे। अगली बैठक में संघवार समितियों की औसत खपत की जानकारी ली जावे। शून्य सुदाना विकय समितियों की संख्या में अगले माह तक 50% की कमी की जावे।

(कार्यवाही : प्रभारी, क्षेत्र संचालन, समस्त दुग्ध संघ)

13. यूरिया कय हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी दुग्ध संघ के भण्डार एवं कय नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही : मुख्य कार्यपालन अधिकारी, समस्त दुग्ध संघ)

14. श्री धरमवीर सिंह, प्रभारी, पशुआहार संयंत्र, बण्डोल विगत दिनों से बिना किसी सूचना के अनुपस्थित है एवं श्री धरमवीर सिंह के द्वारा NCDFI द्वारा पशु आहार विकय हेतु ई–निविदाओं में भाग नहीं लिये जाने से पशु आहार संयंत्र की क्षमता का कम उपयोग हुआ है। उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की जाये।

(कार्यवाही : मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर दुग्ध संघ एवं महाप्रबंधक (क्षे.सं.), एमपीसीडीएफ)

15. पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम के अधीन पशु आहार संयंत्र, कीरतपुर द्वारा उज्जैन दुग्ध संघ कार्यक्षेत्र के आगर, उज्जैन एवं रतलाम जिले की गौशालाओं में पशु आहार प्रदाय किया जा रहा है इस संबंध में पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम को उक्त जिलों में पशु आहार प्रदाय न करने हेतु पत्र जारी किया जाये।

(कार्यवाही : महाप्रबंधक (क्षे.सं.), एमपीसीडीएफ)

16. आदिवासी महिला डेयरी विकास परियोजना के समस्त लक्ष्य 31 अगस्त 2022 तक पूर्ण कर लिये जावे।

(कार्यवाही : मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सहकारी दुग्ध संघ इंदौर एवं जबलपुर)

17. परियोजना में दिये जाने वाले प्रशिक्षणों के फोटोग्राफ्स लिये जावे। PRO के माध्यम से प्रशिक्षण की जानकारी समाचार पत्रों में प्रकाशित करावे।

(कार्यवाही : मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सहकारी दुग्ध संघ इंदौर एवं जबलपुर)

18. परियोजनान्तर्गत प्रशिक्षण सत्रों में जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, महिला एवं बाल विकास अधिकारी, जनजातीय कार्य विभाग के जिला अधिकारी, SRLM के जिला परियोजना अधिकारी एवं उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं आदि को आमंत्रित कर प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सम्बोधित करावे।

(कार्यवाही : मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सहकारी दुग्ध संघ इंदौर एवं जबलपुर)

19. परियोजनान्तर्गत गठित दुग्ध समितियों में दुग्ध संकलन लक्ष्यों की शत–प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित की जाये।

(कार्यवाही : मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सहकारी दुग्ध संघ इंदौर एवं जबलपुर)

20. इंदौर दुग्ध संघ की तर्ज पर जबलपुर दुग्ध संघ भी योजनान्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम व्यय सीमा में NDDB आणंद, गुजरात में आयोजित करायें।

(कार्यवाही : मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सहकारी दुग्ध संघ जबलपुर)

21. योजनान्तर्गत वित्तीय व्ययों में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की जाये एवं समस्त उपयोगित राशि का अंकेक्षण कराया जावे।

(कार्यवाही : मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सहकारी दुग्ध संघ इंदौर एवं जबलपुर)

22. योजना की आगामी समीक्षा बैठक 06 सितम्बर 2022 को आयोजित की जावे।

(कार्यवाही : महाप्रबंधक, क्षेत्र संचालन, एमपीसीडीएफ)

———— 000 ————

प्रबंध संचालक

क्रमांक – 2230 क्षे.सं./16/2022 दिनांक : 12 JUL 2022

प्रतिलिपि :

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सहकारी दुग्ध संघ, भोपाल/इंदौर/उज्जैन/ग्वालियर/जबलपुर/बुन्देलखण्ड – की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. उप महाप्रबंधक (एम.एन्डपी), एमपीसीडीएफ, भोपाल।
3. प्रभारी (क्षे.सं.), सहकारी दुग्ध संघ, भोपाल/इंदौर/उज्जैन/ग्वालियर/जबलपुर/बुन्देलखण्ड – की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. प्रभारी, पशुआहार संयंत्र, पचामा/मांगलिया/शिवपुरी/बण्डोल/सागर – की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. सहायक महाप्रबंधक (एम.एन्डपी), एमपीसीडीएफ, भोपाल।

प्रबंध संचालक